

**न्यायालय:- बलवीर सिंह, तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सिवनी,
जिला सिवनी (म0प्र0)**

Filling No.	BA/6180	2025
CNR NO.	MP220100 7759	2025
Bail Application No.	523	2025

ब्रजेश राजपूत पिता स्व० नागेन्द्रसिंह राजपूत, उम्र करीब 47 वर्ष,
निवासी ग्राम मारबोड़ी, थाना बंडोल,
तहसील व जिला सिवनी (म0प्र0)
हाल मुकाम—नवनीत कॉलोनी लूधरवाड़ा,
थाना, तहसील व जिला सिवनी (म0प्र0) :—**आवेदक/अभियुक्त**
विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन

द्वारा—आरक्षी कोतवाली सिवनी,

जिला—सिवनी (म0प्र0)

:—**अनावेदक/अभियोजन**

जमानत आदेश दिनांक—31/10/2025 की प्रतिलिपि।

माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय, सिवनी जिला सिवनी म.प्र. के आदेश से आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 483 भा0ना0सु0सं0, थाना कोतवाली सिवनी के अप0कं0—899/2025 की केस डायरी प्रतिवेदन सहित, विधिवत सुनवाई व निराकरण किये जाने हेतु अंतरण पर इस न्यायालय को प्राप्त।

आवेदक/अभियुक्त **ब्रजेश राजपूत** की ओर से श्री वीरेन्द्र सोनकेशरिया अधिवक्ता उपस्थित।

म.प्र. राज्य द्वारा ए.डी.पी.ओ.।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से सूची अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत किये गये।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र पर उभयपक्ष के तर्क श्रवण किए गए।

आवेदक/अभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र संक्षेप में यह है कि आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली सिवनी द्वारा अप0कं0—899/2025 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर दिनांक 28.10.2025 को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जहां से अभियुक्त को जिला जेल सिवनी भेज दिया गया है। आवेदक/अभियुक्त ने कोई अपराध नहीं किया गया है, उसे कथित अपराध में साजिश कर झूठा फंसाया गया है, वह पूर्णतः निर्दोष है। वस्तुस्थिति यह है कि उक्त प्रकरण में योगेश राजपूत अभियुक्त है, जो कि पुलिस प्रधान आरक्षक सीसीटीएनएस ऑफिस सिवनी में पदस्थ है। आवेदक/अभियुक्त उनका छोटा भाई है। आवेदक/अभियुक्त के भाई योगेश राजपूत द्वारा वर्ष 2024 में तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारी द्वारा उनके विरुद्ध विभागीय दंड दिये जाने के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन लगायी थी, जिसके पश्चात् उन्हें सिवनी से नरसिंहपुर ट्रांसफर कर दिया गया था, जिसके विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत रिट पिटीशन पर स्थानांतरण पर स्थगन प्रदान किया गया था। उक्त रिक्त पिटीशन में वनिष्ठ अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से पार्टी बनाया गया था, जिसके कारण वरिष्ठ

अधिकारी आवेदक/अभियुक्त से नाराज थे। दिनांक 19.10.2025 को रात्रि के सवा 12 बजे आवेदक/अभियुक्त के भाई के घर कुछ लोग सिविल ड्रेस में एवं बिना नेम प्लेट आये थे एवं रात्रि में घर के उपर सीढ़ी से होते हेतु घर के अंदर पहुंचे थे, जो उचित एवं वैधानिक नहीं था, तब आवेदक/अभियुक्त अपने भाई के घर पहुंचा था। एफआईआर अनुसार घटना की वीडियोग्राफी की गई थी, जिसमें कहीं भी आवेदक/अभियुक्त द्वारा मारपीट किये जाने, मोबाईल छीनने जैसे आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। जिस नोटिस की तामीली के बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट में लेख किया गया है, उक्त नोटिस की तामीली आवेदक/अभियुक्त के भाई योगेश राजपूत को 01:43 बजे बिना किसी विवाद के की जा चुकी थी। प्रकरण में अधिरोपित सम्पूर्ण धाराएं 7 वर्ष से कम सजा के प्रावधान की होकर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय हैं। उक्त प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। जमानत पर रिहा होने के बाद आवेदक/अभियुक्त न्यायालय द्वारा अधिरोपित समस्त आदेशों का पालन करेगा तथा आवेदन पत्र में न्यायदृष्टांत अर्नेश कुमार विरुद्ध स्टेट ऑफ बिहार का उल्लेख करते हुए आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया गया है।

जमानत आवेदन के समर्थन में शपथकर्ता स्वदेश राजपूत पिता स्व० श्री नागेन्द्र सिंह राजपूत का इस आशय का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त का यह **प्रथम** नियमित जमानत आवेदन है। इस आशय का अन्य कोई जमानत आवेदन माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर या अन्य किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं है, न ही लंबित है।

केस डायरी मय प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया।

अवलोकन से यह दर्शित होता है कि थाना नवेगांव, जिला बालाघाट में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ उपनिरीक्षक अमित अग्रवाल द्वारा दिनांक 19.10.2025 को थाना कोतवाली सिवनी में इस आशय की लिखित रिपोर्ट लेख कराया कि वह बालाघाट पुलिस अधीक्षक के आदेश के पालन में थाना कोतवाली बालाघाट के अपराध क्रमांक 628/25 धारा 316(5) बीएनएस, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1) (ए), 13(2) की विवेचना हेतु गठित की गयी एसआईटी का सदस्य है। दिनांक 18.10.25 को थाना नवेगांव बालाघाट के रो.सा. क्रमांक 30 पर पुलिस लाइन से वह अधिगृहित प्रायवेट वाहन मय हमराह स्टाफ के थाना कोतवाली बालाघाट के उक्त अपराध क्रमांक 628/25 की विवेचना के दौरान रात करीब 12 बजे उक्त प्रकरण के संदेही योगेश पुत्र नागेन्द्र सिंह राजपूत से पूछताछ हेतु व विवेचना में सहयोग प्राप्त करने हेतु योगेश के घर पहुंचा था। हमराह स्टाफ की मदद के योगेश राजपूत को घर से बाहर बुलवाया, योगेश राजपूत के घर से बाहर आने पर योगेश राजपूत को परिचय देकर उक्त अपराध में विवेचना एवं पूछताछ में सहयोग करने हेतु आग्रह किया। मौके से ही टीआई कोतवाली सिवनी को जरिये मोबाईल शासकीय कार्य करने के बारे में सूचना दिया, उसके द्वारा योगेश राजपूत को उक्त अपराध में पूछताछ में सहयोग हेतु बोलने पर योगेश राजपूत अचानक आक्रोशित हो गया और उसने अपने आसपास रहने वाले करीब 08-10 लोगों को इकट्ठा कर लिया था। मौके पर टीआई कोतवाली श्री वामनकर भी कोतवाली सिवनी के हमराह स्टाफ के

आ गये थे, योगेश राजपूत द्वारा एकत्रित की गयी भीड़ ने मौके पर मौजूद पुलिस बल को घेर लिया था। मौके पर ही योगेश राजपूत का भाई ब्रजेश एवं उनका साथी गुड्डू नरेन्द्र ठाकुर भी आ गया था, जिन्होंने अपना नाम बताया था, उक्त समस्त लोगों ने एक राय होकर मौके पर अत्यंत आक्रोशित होकर चिल्लाचोट करने लगे थे, तथा शासकीय ड्यूटी पर कार्यरत शासकीय सेवक एवं हमराह स्टाफ को अपने कर्तव्य के निर्वहन से निवारित करने के लिये भय पैदा कर रहे थे तथा शासकीय सेवक को शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाते हुये शासकीय कार्य नहीं करने दिया तथा थाना कोतवाली बालाघाट के अप.क्र. 628/25 थाना बालाघाट कोतवाली के जावक क्रमांक 1791/ए/25 के द्वारा नोटिस को तामील नहीं करने दिया गया, योगेश राजपूत के द्वारा आसपास के लोगों को उकसाकर वाद विवाद की स्थिति निर्मित की गयी, योगेश राजपूत के भाई ब्रजेश राजपूत के द्वारा उसे शासकीय ड्यूटी पर कार्यरत शासकीय सेवक के साथ धक्का मुक्की की गयी व बांये कंधे पर मुक्का मारा जिससे उसे बांये कंधे में मुंदी चोट आयी थी, तभी नरेन्द्र उर्फ गुड्डू ठाकुर द्वारा सार्वजनिक रूप से जान से मारने की धमकी देते हुये बोला गया कि "लौंडे जाओगे नहीं यहां से वापस.....मादरचोद" जो उसे सुनने में बुरी लग रही थी, उसके साथ मौजूद फोर्स द्वारा घटना के संबंध में वीडियोग्राफी की जा रही थी तो योगेश राजपूत, ब्रजेश राजपूत एवं नरेन्द्र ठाकुर द्वारा एकत्रित भीड़ को उकसाया जा रहा था कि वीडियो मत बनाने दो जिससे मौके पर मौजूद भीड़ द्वारा शासकीय सेवकों के साथ झूमाझटकी कर आरक्षक शैलेश तैलंग का मोबाईल नीचे गिरा दिया गया था जिससे मोबाईल टूट गया था और मौके पर मौजूद भीड़ द्वारा शासकीय नोटिस तामील नहीं करने दिया गया और शासकीय कार्य में बाधा पहुंचायी गयी। थाना कोतवाली आने पर योगेश राजपूत के घर के सामने एकत्रित भीड़ ने शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने वाले लोगों के नाम के संबंध में वीडियो दिखाकर मुखबिर से पूछताछ करने पर मुखबिर ने वीडियो देखकर बताया कि योगेश राजपूत के साथ ब्रजेश राजपूत, नरेन्द्र उर्फ गुड्डू ठाकुर, अखिलेश खेड़ीकर, ओमप्रकाश उर्फ मुन्ना महाराज, कुलदीप ठाकुर व अजय ठाकरे सभी निवासी सिवनी वीडियो में उत्तेजित होकर पुलिस से विवाद करते दिखायी दे रहे हैं व अन्य 8 से 10 लोग भी उनके साथी वीडियो में दिखायी दे रहे हैं।

उक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर थाना कोतवाली सिवनी द्वारा आवेदक/अभियुक्त एवं अन्य सहअभियुक्तगण योगेश राजपूत, नरेन्द्र ठाकुर, अखिलेश खेड़ीकर, ओमप्रकाश महाराज, कुलदीप ठाकुर, अजय ठाकरे के विरुद्ध अप0क्रं0-899/2025 धारा 121(1), 132, 221, 296, 324(4), 351(3), 191(2) भा0न्या0सं0 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की जाकर विवेचना में लिया गया।

ए.डी.पी.ओ. ने जमानत आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

विचार किया गया। आवेदक/अभियुक्त द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर एक राय होकर थाना कोतवाली बालाघाट के अपराध क्र. 628/25 की विवेचना के दौरान शासकीय सेवक से को जान से मारने की धमकी देते हुये शासकीय सेवक को अपने कर्तव्य न करने के लिये भय में डालकर शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने का आक्षेप है, जो कि गंभीर प्रकृति का अपराध है। केस

डायरी मय प्रतिवेदन के अवलोकन से आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध मारपीट, धमकी, राज्य सुरक्षा अधिनियम एवं प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किये जाने से संबंधित मामले पूर्व में भी दर्ज होना दर्शित होता है। प्रकरण विवेचना में है। जमानत प्राप्त होने के पश्चात् आवेदक/अभियुक्त के फरार होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में आवेदक/अभियुक्त को न्यायदृष्टांत अर्नेश कुमार विरुद्ध स्टेट ऑफ बिहार का लाभ प्राप्त नहीं होता है।

अतः जमानत के स्तर पर, प्रकरण के गुण-दोषों पर कोई भी टिका-टिप्पणी किये बगैर, अपराध की गंभीरता, प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये आवेदक/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। फलतः आवेदक/अभियुक्त **ब्रजेश राजपूत** की ओर से प्रस्तुत नियमित जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भा.ना.सु.सं. विचारोपरान्त **“निरस्त”** किया जाता है।

आदेश की प्रति सहित केस डायरी वापस प्रेषित की जावे।

प्रकरण का परिणाम सी.आई.एस. में दर्ज कर प्रकरण नियत समयावधि में अभिलेखागार में जमा किया जावे।

BALBIR
SINGH
DHAKAD

Digitally signed by
BALBIR SINGH DHAKAD
Date: 2025.10.31
17:59:29 +0530

(बलवीर सिंह)

तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश
सिवनी, जिला सिवनी (म0प्र0)